

राजस्थान सरकार  
परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग

क्रमांक: एफ.1(42)परि/स्था./व.सूची/2021/7423

जयपुर, दिनांक: 05/4/2022

नोटिस

राजस्थान परिवहन सेवा के अन्तर्गत नियमित रूप से चयनित/स्थाई उप परिवहन आयुक्त/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी की दिनांक 01.04.2022 की स्थिति में अस्थाई/अंतिम वरिष्ठता सूची का एतद् द्वारा प्रकाशन किया जाता है।

वरिष्ठता सूची के संबंध में यदि आपत्ति हो तो जारी करने की तिथि से 10 दिवस के अन्दर-अन्दर अपना लिखित अभ्यावेदन आपत्तियों की पुष्टि में नियमों का सन्दर्भ अंकित करते हुए संबंधित दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति संलग्न कर डाक/विभागीय ई-मेल पर प्रेषित कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी तथा जारी वरिष्ठता सूची को अंतिम रूप से प्रकाशित कर दिया जाएगा। यह वरिष्ठता सूची विभिन्न न्यायालयों द्वारा पारित प्रचलित आदेश एवं लम्बित प्रकरणों के अध्याधीन होगी।

उप परिवहन आयुक्त/प्रादेशिक परिवहन अधिकारी

क्र.सं.	नाम	जन्म तिथि	चयन वर्ष	वर्ग	टिप्पणी
1.	श्रीमती प्रवीणा चारण	26.09.1974	2012-2013	अ.पि.व.	पदोन्नति
2.	श्री मन्नालाल रावत	07.01.1972	2013-2014	अ.ज.जा.	पदोन्नति
3.	श्री जगदीश प्रसाद बैरवा	06.07.1971	2013-2014	अ.जा.	पदोन्नति
4.	श्री राजीव कुमार	10.06.1963	2015-2016	अ.जा.	पदोन्नति
5.	श्री प्रकाश सिंह राठौड़	11.09.1970	2015-2016	सामान्य	पदोन्नति
6.	श्री राजेश शर्मा	23.03.1973	2016-2017	सामान्य	पदोन्नति
7.	श्रीमती रानी जैन	19.08.1973	2017-2018	सामान्य	पदोन्नति
8.	श्री सतीश कुमार चौधरी	15.08.1971	2017-2018	अ.पि.व.	पदोन्नति
9.	श्री प्रभुलाल बामनिया	08.01.1970	2019-2020	अ.ज.जा.	पदोन्नति
10.	श्री अर्जुन सिंह राठौड़	29.06.1980	2021-2022	सामान्य	पदोन्नति
11.	श्री नेमीचंद पारीक	10.07.1974	2021-2022	सामान्य	पदोन्नति

(महेन्द्र सोनी)

परिवहन आयुक्त एवं  
विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक: एफ.1(42)परि/स्था./व.सूची/2021/ 7424-33 जयपुर, दिनांक: 05/4/2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त निजी सचिव, अपर परिवहन आयुक्त (प्रशासन), राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सहायक, वित्तीय सलाहकार, परिवहन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त अपर/संयुक्त/उप परिवहन आयुक्त मुख्यालय, जयपुर।
5. समस्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
6. समस्त सहायक परिवहन आयुक्त/अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी।
7. समस्त जिला परिवहन अधिकारी।
8. "नोडल अधिकारी वेबसाईट" को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करवाने हेतु प्रेषित है।
9. सम्बन्धित अधिकारी श्री/श्रीमती .....।
10. निजी/रक्षित पत्रावली।



अपर परिवहन आयुक्त (प्रशा०)